न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टी.ए./7446/2011/भरतपुर

बदना पुत्र रामजीवन जाति जाट निवासी ग्राम श्योरावली तहसील डीग जिला भरतपुर।

......प्राार्थी

बनाम

1- सोरन सिंह पुत्र बुद्धिसिंह
2- विरेन्द्र सिंह) पुत्रान बुद्धिसिंह नाबालिगान जरिये वली पिता
3- देवेन्द्रसिंह) बुद्धिसिंह
4- सुनीता) पुत्रीयान बुद्धिसिंह नाबालिग वली पिता
5- उर्मिला) बुद्धिसिंह
6- महावीरी)
7- बुद्धीसिंह पुत्र नामालूम
8- सुखराम पुत्र सांवल (मृतक)
जरिये वारिसान :-
8/1- रमेश पुत्र सुखराम
8/2- राजेन्द्र पुत्र सुखराम
8/3- समवती पुत्री सुखराम
8/4- संतो पुत्री सुखराम
8/5- केला उर्फ मन्नू पुत्री सुखराम
9- फत्ते)
10- बल्ला)
11- बलवीर) पिसरान श्री ग्यासी
12- गुलाब)
13- केशव)
14- नेती)
15- भगवती बेवा ग्यासी (मृतक) तर्क आदेश दिनांक 03-11-23 से।
16- चन्दर पुत्र ग्यासी
सभी जाति जाट निवासी ग्राम श्योरावली तहसील डीग तहसील जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकल-पीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थितः
श्री वैभव पारीक अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री उमेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 19 दिसम्बर, 2023

यह निगरानी अन्तर्गत धरा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 90/92 में पारित निर्णय दिनांक 09-01-1998 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी बदना द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीग के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07-6-91 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर मु0 श्योरती व सुखराम द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। अपील के विचाराधीन रहते वर्तमान प्रार्थी/प्रत्यर्थी बदना द्वारा दिनांक 09-7-97 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित क्रम सं0 1 से 6 की प्रारम्भिक आपत्तियों पर पूर्व में सुनवाई की जाकर अपील खारिज की जावे। इसके जवाब में अपीलार्थी की ओर से जवाब दिनांक 20-8-97 को पेश किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09-1-98 द्वारा प्रतिवादी द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्तियों में कोई सार नहीं होने की वजह से प्रार्थना पत्र दिनांक 09-7-97 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 09-01-98 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विपक्षी की माता मु0 श्योरती ने मियाद बाहर जाकर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी, जिसे अन्दर मियाद मानने में अपीलीय न्यायालय ने विधिक भूल की है। अपील की बहस के दौरान धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोई बहस ही नहीं की गई थी फिर भी अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मु0 श्योरती पक्षकार नहीं थी। उसने बाद में वाद के विचाराधीन रहते सुखराम प्रतिवादी से भमि का विक्रय कराया जाना बतलाया है। इस कारण धारा 53 सम्पति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान अनुसार मु0 श्योरती को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-6-91 को चुनौती देने का अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23-03-91 पर सुखराम प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सुखराम के आवेदन पर उसको दिनांक 02-11-96 को अपीलार्थी नं0-2 के रूप में ट्रांसपोज किया गया। अतः सुखराम द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है इसलिए सुखराम को भी विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय उपजिलाधीश, डीग ने दिनांक 25-8-87/ को विवादित भूमि को रहन, बय व मुंतकिल करने का आदेश पारित किया था। उक्त पाबंदी के बाद भी सुखराम ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 26-3-90 मु0 श्योरती के हक में निष्पादित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने प्राथमिक आपत्ति में वर्णित तथ्यों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 09-01-98 निरस्त किया जावे तथा प्रस्तुत प्रारिम्भक आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्राथी ने 2020 (1) आर.आर.टी. 356, 2017 (1) डी.एन.जे. (राज.) 270, 2022 (2) आर.आर.टी. 1287, 2008 (2) डी.एन.जे. (राज.) 959, 2023 (4) डी.एन.जे. (राज.) 1345, 2019 (1) सिविल कोर्ट केसेज 342, 2019 (1) आर.आर.टी. 432, 1989 आर.आर.डी. 492, 2009-10 (सप्ली.) आर.आर.टी. 187, 2022 (29)आर.बी.जे. 645, 2013 (20) आर.बी.जे. 569, 1996 डी.एन.जे. (2) एस0सी0 456, 1989 आर.आर.डी. 224 तथा 2011 (2) आर.आर.टी. 907 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4- इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के

विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई थी। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना प्रारम्भिक आपत्ति का इस आधार पर खारिज किया है कि सुखराम ने मृतक श्योरती के हक में विक्रय पत्र दिनांक 26-03-90 को कराया है और अस्थाई निषेधाज्ञा की पाबंदी दिनांक 15-03-90 को समाप्त हो चुकी थी। अतः अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 09-01-98 के द्वारा प्रत्यर्थी बदना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना पत्र खारिज करने में एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थनापत्र वाारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निराधार कथनों के साथ पेश किये जाने से उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

5- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

6- पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-6-91 के विरूद्ध मु0 श्योरती पुत्री बुद्धीसिंह एवं सुखराम पुत्र सांवल द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारिम्भक अपत्तियों का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि पूर्व में प्रस्तुत दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, जो अदम हाजरी में खारिज होने से अपील के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान दावा धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया है। पूर्व दावा एवं वर्तमान दावे में रिलीफ अलग अलग चाही गई है। चूंकि सुखराम ने मु0 श्योरती के हक में विक्रय पत्र दिनांक 26-03-90 को निष्पादित कराया है और अस्थाई निषेधाज्ञा की पाबंदी समाप्त हो चुकी है। उक्त समस्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अपीलीय न्यायलय ने प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र को खारिज करने तथा धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की

है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है।

7– वर्तमान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ऐसा कोई नया तथ्य एवं बिन्दु पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हो। प्रार्थी के द्वारा निराधार कथनों के साथ निगरानी पेश की है, जिसमें कोई सारयुक्त तथ्य नहीं होने से यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

8– उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9– आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य